जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा / अ.आ. / एल.पी.सी. / 09 / डी–2356 दिनांकः– 29-12-09

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की 61 वीं बैठक दिनांकः 24.12.09 को प्रातः 10.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें भाग लेने वाले अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय पारित किये गये :–

क्र. सं	जो. नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		61:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निरतारण समिति की आयोजित 60वीं बैठक दिनांक 03.12.09 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन एवं 52वीं से 60वीं बैठकों में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की समीक्षा	**I.** प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 60वीं बैठक दिनांक 03.12.09 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया। **II.** प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **52वीं बैठक** दिनांक 1.6.09 में लिये गये निर्णयों की शेष अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा करते समय निम्नांकित निर्णय लिये गये :– i. प्रस्ताव संख्या 52:6 के संदर्भ में उपायुक्त जोन 12 ने बताया कि बढे हुये क्षेत्रफल को आरक्षित दर की दुगुनी कीमत पर लेने के संबध में सहमति प्रदान करने हेतु आवंटियों को पत्र जारी कर दिया गया है। किन्तु सहमति अथवा असहमति प्राप्त नही हुई है। राज्य सरकार को प्रकरण वास्ते स्वीकृति भिजवाया गया है। ii. प्रस्ताव संख्या 52:7(2) के संबन्ध मे सूचना आयोग कार्यालय भवन हेतु प्रस्ताव की अनुपालना के क्रम में जोन उपायुक्त–1 ने अवगत कराया कि संस्थानिक क्षेत्र में एक भूखण्ड के विवाद का निस्तारण हुआ है जिसमें से आवंटन किये जाने पर विचार किया जा सकता है। उपायुक्त ने बताया कि जो भूखन्ड निस्तारित हुआ था उस पर कोर्ट ने दिनांक 23.07.09 को स्थगन दे दिया है। उपायुक्त को निर्देशित किया गया कि वे प्राथमिकता से स्टे वेकेट कराने की कार्यवाही करे। **III.** प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **59वीं बैठक** दिनांक 09.11.09 में लिये गये निर्णयों की शेष अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा करते समय निम्नांकित निर्णय लिये गये :– i. प्रस्ताव सख्या 59:4 के संबंध में उपायुक्त द्वारा राज्य सरकार से मार्ग दर्शन चाहा गया है। प्राप्त होने पर पालना रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की जावे। ii. प्रस्ताव सख्या 59:8 के संबंध में रामनगरिया विस्तार योजना में आरक्षित कार्नर भूखण्डों को आवंटन की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाया गया है। उपायुक्त जोन 9 को निर्देशित किया गया कि वे

अति० आयुक्त (एल० ...) जयपुर ...

				प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करा समिति को अवगत करावें। **IV.** प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **60वीं बैठक** दिनांक 03.12.09 में लिये गये निर्णयों की समस्त अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के कारण ड्रोप करने का निर्णय लिया गया। **V.** प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **61वीं बैठक** दिनांक 24.12.09 में प्राप्त एजेण्डों पर राज्य सरकार के आवंटन संबंधी नवीन आदेश/परिपत्र के अध्यधीन निम्न प्रकार निर्णय लिये गये।
2.	2	61:2	विधाधरनगर डाकघर को आवंटित भूखण्ड की निर्माण अवधि बढाने के संबंध में।	प्रस्ताव के संबंध में समिति ने निर्णय लिया कि प्रकरण में निर्माण अवधि एक वर्ष बढाने हेतु चाही गई शिथिलता दी जावे। प्रति वर्ष 5 प्रतिशत की दर से पेनल्टी अधिरोपित करने बाबत परीक्षण करने हेतु जोन स्तर से कार्यवाही पत्रावली पर की जावे।
3.	13	61:3	राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय रामपुरा सेवापुरा तहसील आमेर को भूमि आवंटन बाबत।	प्रस्तावानुसार ग्राम सेवापुरा तहसील आमेर के खसरा नं. 3/2 क्षेत्रफल 6.23 है0 में से 4000 वर्गगज भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही पूरे क्षेत्रफल की प्लानिंग भी करवाने के निर्देश निदेशक (नगर आयोजना) को दिये गये।
4.	9	61:4	जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड को 33/11 के.वी. सब स्टेशन के निर्माण हेतु महल योजना में भूमि आवंटन बाबत।	जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड की 1579 वर्गमीटर भूमि सोडाला थाने को दी गई थी जिसके बदले जे.वी.वी. एन.एल. को दूगुनी अर्थात 3158 वर्गमीटर भूमि मंत्री महोदय नगरीय विकास विभाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 17.06.09 में निःशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया था। निगम को 650 वर्गमीटर भूमि स्वेज फार्म में दी जा चुकी है। 1000 वर्गमीटर भूमि महल योजना के बी-ब्लॉक में आवंटित करने का निर्णय लिया गया एवं शेष 1508 वर्गमीटर भूमि सिरसी रोड पर आवंटन करने का सैद्धान्तिक निर्णय लिया गया। उपायुक्त 7 आगामी बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत करें। गुर्जर की थडी क्षेत्र में निगम को आवंटन की गई भूमि लिटीगेशन में है। अतः उक्त भूमि निगम द्वारा जविप्रा के पक्ष में समर्पित कराई जावे। निगम के प्रतिनिधी ने उक्त कार्यवाही पर अपनी सहमति भी प्रकट की।
5.	12	61:5	भूखण्ड सं. सी-156 आनंद लोक योजना क्षेत्रफल 45.00 व.मी. का मौके पर भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण विनिमय में दिये जाने बाबत।	रिक्त भूखण्ड सं. सी-160, 162, 170, 171 व 174 में से एक भूखण्ड 45 वर्गमीटर माप का लॉटरी द्वारा जोन की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर की दूगुनी दर पर विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
6.	12	61:6	भूखण्ड सं. सी-154 आनंद लोक योजना क्षेत्रफल 45.00 व.मी. का मौके पर भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण विनिमय में दिये जाने बाबत।	रिक्त भूखण्ड सं. सी-160, 162, 170, 171 व 174 में से एक भूखण्ड 45 वर्गमीटर माप का लॉटरी द्वारा जोन की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर विनिमय करने का निर्णय लिया गया।

7.	12	61:7	भूखण्ड सं. बी–58 स्वप्न लोक योजना क्षेत्रफल 120.00 व.मी. का क्षेत्रफल बढकर 239.60 वर्गमीटर हो जाने के कारण आवंटी को आवंटन करने बाबत।	श्रीमती स्नेहलता राठौड को भूखण्ड सं. बी–58 स्वप्न लोक योजना क्षेत्रफल 120.00 व.मी. का क्षेत्रफल बढकर 239.60 वर्गमीटर हो जाने के कारण बढे हुये क्षेत्रफल 139. 60 वर्गमीटर को जोन की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। चूकि बढा हुआ क्षेत्रफल 100 वर्गगज से अधिक है। अतः नियमानुसार राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त की जावे।
8.	13	61:8	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बारियावाला उर्फ रामपुरा तहसील जमवारामगढ को भूमि आवंटन बाबत।	ग्राम रामपुरा उर्फ बारियावाला तहसील जमवारामगढ के खसरा नम्बर 143 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा मे से 4000 वर्गगज भूमि निःशुल्क आवटन करने का निर्णय लिया गया।
9.	14	61:9	राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय ग्राम तीतरिया तह. चाकसू को भूमि खेल मैदान/छात्रावास हेतु आवंटन करने बाबत।	विद्यालय को पूर्व में 5 बीघा भूमि जिला कलेक्टर जयपुर द्वारा आवंटित की जा चुकी है। अब आवंटन के औचित्य के संबंध में परीक्षण करने हेतु स्थगित किया गया।
10.	13	61:10	नारी चेतना समिति को वृद्धाश्रम हेतु ग्राम कानोता में भूमि आवंटन बाबत।	संस्था की सचिव द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया गया। समिति का मत है कि संस्था द्वारा चाही गई भूमि शहर से व मुख्य रोड से दूर होने के कारण वृद्धाश्रम हेतु उपयुक्त नहीं है। अतः वैकल्पिक भूमि का प्रस्ताव आगामी एलपीसी की बैठक में रखें जाने हेतु प्रकरण स्थगित किया गया।
11.	13	61:11	विकलांग व्यवसाय पुर्नवास केन्द्र जयपुर के लिए ग्राम कानोता तहसील बस्सी के ख.न. 624 में से 16185 वर्ग मीटर भूमि आवंटन बाबत।	प्रस्तावानुसार ग्राम कानोता तहसील बस्सी के ख.न. 624 मे से 4000 वर्गगज भूमि आवंटन का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 14.02.2005 नगरीय विकास विभाग के परिपत्र प.–3(55)नविवि/3 /2002 दिनांक 14.02.05 के अनुसरण में 1000 वर्गगज भूमि निःशुल्क एवं शेष 3000 वर्गगज भूमि आवासीय आरक्षित दर की 25 प्रतिशत दर से राशि वसूल की जावे।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डाः–

1.	13	61:11(1)	नेशनल सोसायटी फार इंजिनियरिंग रिसर्च एण्ड डवलपमेन्ट को निजी विश्व विद्यालय हेतु भूमि आवंटन करने के संबंध में ।	संस्था के निदेशक द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया गया। पी. डब्ल्यू.सी. की बैठक में अनुमोदन कराया जाने हेतु प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु स्थगित किया गया।
2.	12	61:11(2)	महाराव शेखाजी केन्द्रीय आयुर्वेद आहार अनुसंधान संस्थान को डीम्ड विश्व विद्यालय की स्थापना हेतु भूमि आवंटन बाबत ।	संस्था के निदेशक द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया गया। संस्था को उपायुक्त द्वारा प्रस्तावित 10 बीघा भूमि ग्राम संचोती तहसील जयपुर में जोन की संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
3.	13	61:11(3)	इंसटीट्यूट ऑफ इंजिनियरिंग एण्ड मेनेजमेन्ट ट्रस्ट कलकत्ता को निजी विश्वविद्यालय हेतु भूमि आवंटन बाबत।	संस्था के निदेशक द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया गया। संस्था के निदेशक को ग्राम अचरोल एवं चित्तोडा की भूमि का निरीक्षण कर सहमति प्रदान करने के निर्देश दिये जाकर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु स्थगित किया गया।
4.	8	61:11(4)	बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान (रूडीसेटी संस्थान) जयपुर के लिए जमीन आवटन	नगरीय विकास विभाग के पत्र दिनांक 20.11.06 के अनुसरण में संस्थान को जविप्रा की योजना सायपुरा संस्थानिक क्षेत्र में भूखण्ड संख्या 8 में से 1000 वर्गगज

			बाबत।	भूमि जोन की संस्थानिक आरक्षित दर की 5 प्रतिशत दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
5.	13	61:11(5)	ट्रांसपोर्ट नगर सीकर रोड योजना में भूखण्डों के क्षेत्रफल में अन्तर के कारण बढे हुये क्षेत्रफल की दर निर्धारण करने बाबत।	ट्रांसपोर्ट नगर सीकर रोड योजना में 634 भूखण्डों के क्षेत्रफल में अन्तर पाया गया है। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि जिन भूखण्डों का क्षेत्रफल कम हुआ है उनको यथावत रखा जावें। जिन भूखण्डों का बढा हुआ क्षेत्रफल 10 प्रतिशत से कम है अथवा गहराई (डेप्थ) में 10 प्रतिशत से अधिक किन्तु 100 वर्गगज से कम बढा है उनको आरक्षित दर की दुगुनी कीमत पर आवंटन का निर्णय लिया गया। 100 वर्गगज से अधिक बढने वाले भूखण्डों के लिये राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जावे। शेष भूखण्ड जिनका क्षेत्रफल 10 प्रतिशत से ज्यादा चौडाई में बढ रहा है उनकी रिप्लानिंग करने का निर्णय लिया गया।
6.	13	61:11(6)	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एन.आई.आर.डी.) को 100 एकड भूमि आवंटन करने बाबत।	विचार विमर्श कर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि संस्थान को नॉलेज सिटी (नार्थ) हेतु ग्राम चौंप में आरक्षित भूमि खसरा नं. 1598, 1599, 1600 में से 100 एकड भूमि संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन का प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया जावे। उक्त आवंटन की जाने वाली भूमि से जविप्रा को होने वाली राजस्व हानिं की भरपाई सरकार द्वारा कराये जाने का भी निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई ।

अति० सदस्य सचिव (एल.पी.सी.)
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2- निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
3- जिला कलक्टर, जयपुर
4- मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
5- मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
6- मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
7- मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
8- सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
9- निदेशक(वित्त / अभि0 / आयोजना), जविप्रा, जयपुर
10- अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व / पश्चिम / एल.पी.सी. / भूमि), जविप्रा, जयपुर
11- अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
12- उपायुक्त जोन–1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
13- जन सम्पर्क दिशेषाधिकारी, जविप्रा, जयपुर
14- रक्षित पत्रावली

अति० सदस्य सचिव (एल.पी.सी.)
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 61–वी बैठक दिनांक 24.12.09 में उपस्थित अधिकारियों की सूचीः–

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री सुधांश पंत, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्रीमति गायत्री राठौड, सचिव	सदस्य
3.	श्री एच.एस.संचेती, निदेशक (आयोजना)	सदस्य
4.	श्री भास्कर शर्मा निदेशक (वित्त)	सदस्य
5.	श्री शफी मोहम्मद कुरेशी, अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व)	सदस्य
6.	श्रीमति शुचि शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)	सदस्य सचिव
7.	श्रीमति दुर्गा जोशी, अतिरिक्त आयुक्त (भूमि)	सदस्य
8.	श्री ललित शर्मा, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता	सदस्य
9.	श्री जाकिर हुसेन, अतिरिक्त निदेशक (राजस्व सम्पत्ति निस्तारण)	विशेष आमंत्रित
10.	श्री ए0के0 अग्रवाल, उपायुक्त जोन–9	विशेष आमंत्रित
11.	श्री पुरूषोत्तम शर्मा उपायुक्त जोन–12	विशेष आमंत्रित
12.	श्री पी0सी0 शर्मा उपायुक्त जोन–13	विशेष आमंत्रित
13.	श्री संजय जैन उपायुक्त जोन–14	विशेष आमंत्रित
14.	श्री नन्द किशोर शर्मा, तहसीलदार जोन–2	विशेष आमंत्रित